255

संख्या– 181 /15–XIX–2/89/खाद्य/2013

प्रेषक,

राधा रतूडी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

1– आयुक्त,
खाद्य एवम् नागरिक आपूर्ति विभाग,
उत्तराखण्ड ।

2–सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक,
गढवाल/कुमॉयू सम्भाग,
देहरादून/हल्द्वानी ।

खाद्य एवम् नागरिक आपूर्ति अनुभाग–2 दिनॉक : देहरादून : अप्रैल 10 ,2015।

विषयः– **लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अर्न्तगत ए0पी0एल0 योजना के कार्डधारकों हेतु केन्द्रीय निर्गमन दरों पर माह अप्रैल,2015 से माह सितम्बर,2015 तक अथवा राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) लागू होने तक के लिए गेहूँ/चावल का तदर्थ अतिरिक्त आवटंन विषयक ।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत सरकार ने अपने पत्र संख्या–1–2/2014बी0पी0–III दिनॉक 09–04–2015 द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के ए0पी0एल0 उपभोक्ताओं हेतु केन्द्रीय निर्गमन दरों पर माह अप्रैल,2015 से माह सितम्बर,2015 अथवा राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) लागू होने तक के लिए प्रतिमाह 7037 मी0टन गेहूँ तथा 1108 मी0टन चावल तदर्थ रूप से आवटिंत किया गया है ।

1–इस सम्बन्ध में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–120/15–XIX–2/89/खाद्य/2013 दिनॉक 10–03–2015 द्वारा ए0पी0एल0 योजना हेतु निर्गत गेहूँ/चावल के नियमित आवटंन के साथ उपरोक्त तदर्थ आवटिंत गेहूँ/चावल की मात्रा जिसका जनपदवार ब्रैकअप इस पत्र के साथ संलग्न है, के साथ मिलाकर राज्य के ए0पी0एल0 उपभोक्ताओं को प्रतिमाह/प्रतिकार्ड निर्धारित मात्रा में पूर्व में शासन द्वारा संसूचित दरों पर उपलब्ध करायी जायेगी ।

2– भारतीय खाद्य निगम के पत्र संख्या–डी–03/टी0पी0डी0एस0/Adhoc-Spl-All/RO-DDN/2013–2014/2272 दिनॉक 04/05–08–2014 के कम में उपरोक्त आवटिंत समस्त चावल की मात्रा का निर्गमन स्टेटपूल योजना के अर्न्तगत संग्रहित चावल की मात्रा से किया जायेगा । चूँकि रबी विपणन सत्र 2015–2016 दिनॉक 01–4–2015 से प्रारम्भ हो गया है अतएव स्टेटपूल योजना में गेहूँ कय/संग्रहित होने की स्थिति में आवटिंत गेहूँ का उठान स्टेटपूल योजना से तथा स्टेटपूल योजना में गेहूँ न होने की स्थिति में आवटिंत मात्रा का उठान केन्द्रीय पूल अर्थात भारतीय खाद्य निगम से किया जायेगा ।

3– तदर्थ रूप से आवटिंत खाद्यान्न की मात्रा केवल उसी योजना के लिए निर्गत/वितरित की जायेगी, जिस हेतु भारत सरकार तथा शासन द्वारा अनुमति प्रदान की गयी है । आवटिंत चावल की मात्रा का निर्गमन किसी अन्य उद्देश्य एवम् योजना हेतु कदापि नहीं किया जायेगा ।

4– जिला पूर्ति अधिकारी अपने जनपदों हेतु संलग्न जनपदवार ब्रैकअप के अनुसार आवटिंत चावल की मात्रा पात्र लाभार्थियों को प्रतिमाह वितरण करने उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र नियन्त्रण आदेश, 2001 के अनुसार निर्धारित अवधि तक खाद्यायुक्त कार्यालय में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेगें ।

5– स्टेटपूल योजना के अर्न्तगत चावल समाप्त होने की दशा में आवटिंत चावल की मात्रा का क्रय जनपदों के आवटंन के अनुरूप भारतीय खाद्य निगम से किया जायेगा । सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक, गढवाल/कुमॉयू सम्भाग आवटिंत चावल का संचरण मितव्ययता के दृष्टिगत कराना सुनिश्चित करेगें जिससे परिवहन मद में राज्य सरकार को कम से कम व्यय वहन करना पडे ।

6– वित्त नियन्त्रक,खाद्य एवम् नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा स्टेटपूल योजना से निर्गत खाद्यान्न की मात्रा की धनराशि प्रतिपूर्ति (Subsidy) का प्रस्ताव भारत सरकार को निर्धारित प्रारूपों पर नियमानुसार उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा ।

7– उपरोक्त के सम्बन्ध में निकट भविष्य में यदि भारत सरकार से कोई दिशा–निर्देश प्राप्त होते हैं तो तद्नुसार इस शासनादेश में संशोधन किया जायेगा ।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार

भ व दी या,

(राधा रतूडी)
प्रमुख सचिव ।

संख्या– 181/40–खाद्य–XIX–2/09ठी0सी0I तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– संयुक्त सचिव,उपभोक्ता मामले,खाद्य एवम् सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय,भारत सरकार, कृषि भवन,नई दिल्ली को पत्र संख्या–1–2/2015बी0पी0–III दिनॉक 09–04–2015 के सन्दर्भ में ।
2– आयुक्त,गढवाल/कुमॉयू मण्डल,पौडी/नैनीताल ।
3– अपर सचिव, मा0 मुख्यमन्त्री को मा0 मुख्यमन्त्री जी के अवलोकनार्थ ।
4– स्टाफ आफीसर,मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव के अवलोकनार्थ ।
5– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
6– वित्त नियन्त्रक,खाद्य एवम् नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड ।
7– महाप्रबन्धक,भारतीय खाद्य निगम,उत्तराखण्ड ।
8– सम्भागीय वरिष्ठ वित्त अधिकारी(खाद्य),गढवाल/कुमॉयू सम्भाग,देहरादून/हल्द्वानी ।
9– उपसम्भागीय विपणन अधिकारी,देहरादून/हरिद्वार/पौडी/हल्द्वानी/उधमसिंह नगर ।
10– समस्त जिला पूर्ति अधिकारी, उत्तराखण्ड ।
11– प्रमुख निजी सचिव, मा0 खाद्य मन्त्री को मा0 खाद्य मन्त्री जी के अवलोकनार्थ ।
12– समन्वयक,एन0आई0सी0,उत्तराखण्ड शासन ।
13– गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव ।